

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 162 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 162 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 23.10.2020 को प्रातः 11:00 बजे बोर्ड कक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:-

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | श्री भास्कर ए. सावंत<br>अध्यक्ष,<br>राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर                                 | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पवन अरोड़ा,<br>आयुक्त,<br>राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर                                      | सदस्य   |
| 3. | श्री वी. के. दलेला<br>प्रतिनिधि—मुख्य नगर नियोजक<br>नगर नियोजन विभाग,<br>राजस्थान सरकार, जयपुर। | सदस्य   |
| 4. | श्री के. सी. मीना,<br>मुख्य अभियन्ता—प्रथम<br>राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।                      | सदस्य   |
| 5. | श्री जी.एस. बाघेला,<br>मुख्य अभियन्ता—द्वितीय<br>राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।                   | सदस्य   |
| 6. | श्री नरेन्द्र बोहरा<br>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—मुख्यालय<br>राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।         | सदस्य   |
| 7. | श्री नव्वू राम<br>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम एवं तृतीय<br>राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।       | सदस्य   |

३।

8. श्री सन्त सरन,  
उप नगर नियोजक,  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

9. श्री अनिल माथुर,  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

सदस्य—सचिव

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा नं 1.	परियोजना समिति की 160वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 तथा 161वीं बैठक दिनांक 12.10.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 160वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 तथा 161वीं बैठक दिनांक 12.10.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 2.	परियोजना समिति की 160वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 तथा 161वीं बैठक दिनांक 12.10.2020 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 160वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 तथा 161वीं बैठक दिनांक 12.10.2020 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।
एजेण्डा नं 3	मानसरोवर योजना जयपुर के सेक्टर-14ई में नियोजित भूखण्ड संख्या-14ई/आई का आवासीय प्रयोजनार्थ निस्तारण करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावित सेक्टर-14ई में नियोजित भूखण्ड संख्या-14ई/आई का आवासीय प्रयोजनार्थ निस्तारण करने का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 4	मानसरोवर योजना, जयपुर के सेक्टर-14E में नियोजित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या 14E /M (क्षेत्रफल 2790.00 वर्ग मीटर) का पुनर्नियोजन RHB AATISH MARKET (SMALL SHOPS) करने हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावित सेक्टर-14E में नियोजित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या 14E /M (क्षेत्रफल 2790.00 वर्ग मीटर) का पुनर्नियोजन RHB AATISH MARKET (SMALL SHOPS) करने का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 5	इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में छूटे हुए खसरों की नम्बरों में जारी अवार्ड के शेष 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु सेक्टर-7 में व्यावसायिक भूखण्ड के नियोजन के अनुमोदन हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में छूटे हुए खसरों की नम्बरों में जारी अवार्ड के शेष 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु सेक्टर-7 में व्यावसायिक भूखण्ड के नियोजन का अनुमोदन किया गया।

ग्रंथि

एजेण्डा नं 6	महात्मा गांधी दस्तकार नगर, नायला, जयपुर में कार्यालय भवन एवं शॉपिंग सेन्टर के नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 7	सेक्टर-4 व 7 भिवाड़ी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या-A का विभाजन करने के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को स्थगित किया गया।
एजेण्डा नं 8	गोवर्धन विलास योजना, उदयपुर के गोवर्धन अपार्टमेंट योजना क्षेत्र में व्यावसायिक भूखण्डों की प्लानिंग बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 9	सेक्टर-8, प्रताप नगर, आवासीय योजना, सांगानेर, जयपुर में मकान नम्बर-84/33 से 84/44 के सामने पड़ी रिक्त भूमि में आवास नियोजन के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 10	ग्राम सिरोली, जयपुर में ब्लॉक-1 के ले-आउट प्लान में आंशिक संशोधन के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 11	चिनाव अपार्टमेंट, सेक्टर-28, प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत E.W.S. एवं L.I.G. के बहुमंजिले आवास योजना के तहत बाह्य स्त्रोतन से नियोजित मानचित्र के अनुमोदन की पुष्टि बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रकरण में परियोजना समिति की प्रत्याशा में जारी मानचित्र की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 12	किशनगढ़, खोड़ा गणेश रोड, फैज-चतुर्थ, आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूमि पर नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रकरण में परियोजना समिति की प्रत्याशा में जारी मानचित्र की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 13	ब्लॉक-ए, जोन-32, सेक्टर-3, प्रताप नगर आवासीय योजना सांगानेर, जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY) के तहत E.W.S. एवं L.I.G. के बहुमंजिले आवास योजना के तहत बाह्य स्त्रोतन से नियोजित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रकरण में परियोजना समिति की प्रत्याशा में जारी मानचित्र की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 14	सेक्टर-7, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में 43.00 मीटर चौड़ी सड़क पर रिक्त युप हाउसिंग भूखण्ड संख्या GH-3 & GH-4 नं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बाह्य स्त्रोतन से प्राप्त मानचित्र के अनुमोदन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रकरण में परियोजना समिति की प्रत्याशा में जारी मानचित्र की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 15	सेक्टर-6, (Part), बड़ों आवासीय योजना सांगानेर, जयपुर के नियोजन के अन्तर्गत नियोजित द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति ने प्रकरण में परियोजना समिति की प्रत्याशा में जारी मानचित्र को पुष्टि को गई।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति नियोजित द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति ने जारी मानचित्र को पुष्टि को गई।
एजेण्डा नं 16	सेक्टर-15, प्रताप नगर आवासीय योजना सांगानेर, जयपुर के बाहरी भूखण्डों के नियोजन के अन्तर्गत नियोजित द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति नियोजित द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति ने जारी मानचित्र को पुष्टि को गई।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति नियोजित द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति ने जारी मानचित्र को पुष्टि को गई।

एजेण्डा नं 17	मालवीय नगर, जयपुर में फ्लैटों के साथ लगती हुई स्ट्रीप ऑफ लैण्ड (जिसे योजना में पार्क दर्शाया गया है) के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को निरस्त किया गया।
एजेण्डा नं 18	राजस्थान आवासन मण्डल की नई प्रस्तावित योजना शाहजहांपुर में स्वतंत्र आवासों के नियोजन के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को निरस्त किया गया।
एजेण्डा नं 19	The Indian Institute of Architects, Rajasthan Chapter, Jaipur को आवंटित संस्थानिक भूमि का क्षेत्रफल कम करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 20	गोवर्धन विलास योजना, उदयपुर में व्यावसायिक भूखण्डों की नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 21	पानेरियों की मादडी योजना, उदयपुर में व्यावसायिक भूमि में से स्ट्रीप ऑफ लैण्ड में प्रस्तावित करने तथा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि को अन्यत्र योजना क्षेत्र में समायोजित करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को निरस्त किया गया।
एजेण्डा नं 22	सेक्टर-16, प्रताप नगर योजना, जयपुर में कोचिंग हब के CONCEPT PLAN के अनुमोदन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 23	सेक्टर-9, मालवीय नगर, जयपुर में उपलब्ध भूखण्ड के नियोजन के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार वाणिज्यिक भूखण्ड के मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 24	मानसरोवर योजना के सेक्टर-8, में आंशिक संशोधन करते हुए अरावली मार्ग पर स्थित भूखण्ड को बुडलैण्ड से संस्थानिक करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 25	मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर, कुड़ी भगतासनी योजना, फैज-द्वितीय, में अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर-275 के खातेदारों को मुआवजा स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड के नियोजन के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 26	प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में खातेदारों की भूमि के बाद संख्या-5/88/72 ग्राम श्योपुर में अवाप्तशुद्धा भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड दिये जाने हेतु सेक्टर-8 में नियोजित व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रक्तल 448.00 वर्ग मीटर भूमि को योजना में संशोधन करते हुए भू-उपयोग व्यावसायिक ए आवासीय करने तथा सेक्टर-26 में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नियोजन करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 27	प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना में ग्राम नगरियावाला में राज आगन योजना के खातेदारों की भूमि के बाद संख्या-7/90/15, 7/90/24, 7/90/16, 7/90/22 व 7/90/32 में अवाप्तशुद्धा भूमि के बदले 15/25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड के नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रकरण	
अतिरिक्त एजेण्डा 1	मानसरोवर योजना में सिटी पार्क के लिए 2.0 MLD STP के निर्माण हेतु मॉडर्न स्कूल के पास शिप्रा पथ तथा द्रव्यवती नदी के बीच में स्थित संरक्षित स्थल में भूमि आवंटन हेतु मानचित्र में संशोधन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार संशोधित मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
अतिरिक्त एजेण्डा 2	सेक्टर-5, इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर में जल प्रदाय योजना हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार कम्यूनिटी सेन्टर हेतु आरक्षित भूमि में से जल प्रदाय योजना हेतु प्रस्तावित भूमि के मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अधिकारी भा॥२०  
(अनिल माधुर)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य-सचिव,

क्रमांक:- अ.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2020-21/...430

दिनांक : 10.11.2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

अधिकारी भा॥२०  
(अनिल माधुर)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक